



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2009/अग्रहायण 27, 1931

No. 717]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2009/AGRAHAYANA 27, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 904(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 1-106 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ), दिनांक 21 मार्च, 2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन), नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 159(अ), दिनांक 16 मार्च 2006, सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 2006, सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 2007, सा.का.नि. 657(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 166(अ), दिनांक 13 मार्च, 2009 और सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 15 जून, 2009 के साथ पठनीय, पृष्ठ 1 पर नियम 1 के उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित पढ़ा जाए, अर्थात् :-

“(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 (ii) की मद संख्या क 16.06, क 16.09, क 16.10, क 16.15, क 16.30 और क 16.41 के जो 20 जून, 2010 को प्रवृत्त होंगी।”

[फा. सं. पी. 15014/27/2007-पीएच(एफ)]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3 में सं.का.नि.आ. 2160, दिनांक 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 431(अ), दिनांक 19 जून, 2009 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 904(E).— In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. GSR 185 (E) dated 21-03-2005 [Prevention of Food Adulteration (IInd Amendment) Rules, 2005]

published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 1—106 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum No. G.S.R. 596 (E) dated 20th September, 2005, G.S.R. 159(E), dated 16th March, 2006, G.S.R. 575(E), dated 19th September, 2006 and G.S.R. 606(E), dated 19th September, 2007, G.S.R. 657(E) dated 18th September, 2008, G.S.R. 166(E) dated 13th March, 2009 and G.S.R. 413(E) dated 15th June, 2009 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 57, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follows :—

“(2) They shall come into force after six months from the date of publication in the Official

Gazette except items No. A.16.06, A.16.09, A.16.10, A.16.15, A.16.30 and A.16.41 of rule 2 (ii) which shall come into force on 20-06-2010.”

[F. No. P. 15014/27/2007-PH(F)]

VINEET CHAUDHRY, Jt. Secy.

Note:—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India *vide* S.R.O. 2160 dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* G.S.R. 431(E) dated 19-6-2009.